फैक्स एवं
ई-मेल

पत्र संख्या-सी0/ए0-10-16/2011......3604......./जे0

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
भोजपुर, आरा ।

पटना, दिनांक....29-6-17

विषय:- **भोजपुर (आरा) जिला के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके **पत्रांक-781, दिनांक-21.03.2017** के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने **श्री नागेश्वर दुबे, पंजीयन संख्या-611/1971** अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, **भोजपुर** को **भोजपुर** जिला के लिए पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षो के अवधि के लिए जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्यमान होगा, लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की है।

2. उनकी नियुक्ति का आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा **श्री नागेश्वर दुबे** को अग्रसारित करने के लिए संलग्न किया जाता है।

3. नियुक्ति के उक्त आदेश की एक प्रति आपके कार्यालय में अभिलेख हेतु भी संलग्न किया जा रहा है।

4. महालेखाकार, बिहार को अलग से सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन
सु0शर्मा 29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.........3604........../जे0, **पटना, दिनांक:-**29-6-17

प्रतिलिपि:- **श्री नागेश्वर दुबे**, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, **भोजपुर** को **भोजपुर** जिला के लिये लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के आदेश की प्रति संलग्न सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **भोजपुर** तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सु0शर्मा 29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.........3604........../जे0, **पटना, दिनांक:-**29-6-17

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव तथा माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सु0शर्मा 29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.........3604........../जे0, **पटना, दिनांक:-**29-6-17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सु0शर्मा 29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

पत्र संख्या-सी0/ए0-10-16/2011...3605/जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री नागेश्वर दुबे,
अधिवक्ता,
व्यवहार न्यायालय, भोजपुर (आरा)।

पटना, दिनांक 29-6-17

महोदय,

मुझे कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने आपको **भोजपुर (आरा)** जिला के लिये आपके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षो के लिये, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्यमान रूप में होगा, लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की है।

2. इसके लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण शुल्क एवं दैनिक शुल्क देय होगा।

3. लोक अभियोजक के रूप में आपके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(क) **भोजपुर (आरा)** जिला से संबंधित मामलों में बिहार सरकार तथा भारत सरकार के विभागाध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों को कानूनी परामर्श देना।

(ख) **भोजपुर (आरा)** जिला के उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष राज्य एवं संघ सरकार अथवा उनके संबंधित पदाधिकारियों का जिलान्तर्गत उपस्थित होने वाले सभी कानूनी विषयों में प्रतिनिधित्व करना है।

(ग) उक्त अवधि में आपको **भोजपुर (आरा)** जिला के फौजदारी न्यायालयों में सभी फौजदारी मुकदमों में सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही आपको **भोजपुर (आरा)** जिलान्तर्गत लोक अभियोजक के अन्य प्रासंगिक कर्त्तव्यों का भी अनुपालन करना है।

(घ) किसी भी न्यायालय में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थिति नहीं होगें।

विश्वासभाजन,

29/6/17

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।